

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा / हिनि / 28129 / 2024-2025

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त प्राचार्य डाईट,
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें।

विषय: हितकारी निधि के अंतर्गत माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 02 में उल्लिखित अंतिम तिथि 17/01/2025 को संशोधित कर 20/01/2025 किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग: कार्यालय के पत्र क्रमांक:शिविरा / हिनि / 28129 / 2024-2025 दिनांक 17/12/2024 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र की अधिसूचना में आवेदन पत्र की आमंत्रण अन्तिम तिथि 20.01.2025 निर्धारित है, संबंधित अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 02 में यह तिथि सहवन से 17/01/2025 अंकित हो गई है।

अतः उक्त संदर्भित अधिसूचना के सम्बन्ध में हितकारी निधि के अंतर्गत माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रण की अन्तिम तिथि 20/01/2025 ही मान्य होगी। उक्त अधिसूचना में अन्य सभी विवरण पूर्ववत् यथावत रहेंगे

संलग्न: पूर्व में जारी अधिसूचना।

(इन्द्रा चौधरी)

उप निदेशक प्रशासन
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर वास्ते सूचनार्थ।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर
5. प्रधानाचार्य सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
6. संपादक शिविरा पत्रिका।
7. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को प्रेषित कर लेख है की विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण / शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।

(इन्द्रा चौधरी)

उप निदेशक प्रशासन
विभागीय हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
Digitally signed by Indira Chaudhary
Designation: Deputy Director
Date: 2024.12.18 12:00:24 IST
Reason: Approver



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/हिनि/28129/2024-2025

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक,

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)

समस्त प्राचार्य डाईट,

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाये।

विषय: **हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रण : अन्तिम तिथि 20.01.2025**

हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में राजकीय सेवा में कार्यरत समस्त वर्ग के शिक्षा अधिकारियों/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा/अध्यापकों/ मंत्रालयिक/ सहायक कर्मचारियों) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनार्थ वित्तीय सहायता दिए जाने बाबत संलग्न प्रारूप-पत्र में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर अग्रेषित किए जावें:-

- 1 यह योजना राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त वर्ग के कार्मिकों के बच्चों के लिए ही लागू होगी।
2. **व्यावसायिक शिक्षा** : इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं मैनेजमेन्ट, बी.एड., सी.ए., एस.टी.सी., नर्सिंगफार्मसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देय होगी। निर्धारित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रम (चार वर्ष) (आठ सेमेस्टर): डिसिप्लिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली-कम्यूनीकेशन, कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल, आर्कैटेक्चर, टैक्सटाईल, माईनिंग, रबर टेक्नोलोजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्स्ट्रुमेन्टेशन एण्ड कंट्रोल, प्रिन्टिंग, केमिकल टेक्नोलोजी, मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग, एरोनोटिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलोजी, शिप बिल्डिंग एण्ड फेब्रिकेशन टेक्नोलोजी, नेवल आर्किटेक्चर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग।

(ब) मेडिकल (एलोपैथी), होम्योपैथी, आयुर्वेदिक फार्मसी ऑफ मेडिसिन्स एवं पशु आयुर्विज्ञान।

(स) उपर्युक्त पैरा (अ, ब) में उल्लेखित डिग्री (4 वर्ष), डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(द) डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बी-फार्मा की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

(य) स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात् मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

RajKaj Ref
12487815



Signature valid

Digitally signed by Indra Chaudhary

Designation: Deputy Director

Date: 2024.12.17 15:37:34 IST

Reason: Approved

होनी चाहिए।

- (र) बी.एड. तथा एस.टी.सी. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की मान्य है।
- 3 प्रार्थना-पत्र की सभी प्रविष्टियां स्वयं कर्मचारी/संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी चाहिए।
- 4 भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क प्रार्थना-पत्र के कॉलम संख्या 12 में स्पष्ट रूप से अंकित करें। **प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें संलग्न करें। फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार्य नहीं होगी। समेकित भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मदवार विवरण प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना-पत्र विचारणीय होगा।**
- 5 सत्र 2024-25 में छात्र जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप में संलग्न करें।
- 6 सहायता राशि मात्र ट्यूशन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त में दर्शायी गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी।
- 7 सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित है। राज्य कर्मचारी के बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र छात्र के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत के लिए ही स्वीकार्य होंगे।
- 8 व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु कार्मिक के एक ही बच्चे के लिए प्रार्थना-पत्र स्वीकार्य होगा।
- 9 यह सहायता राशि वर्ष 2024-25 के लिए ही मान्य होगी, जिन्होंने सत्र 2024-25 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो उन्हें प्राथमिकता से सहायता दी जावेगी।
- 10 निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों की पात्रता जांचोपरान्त सहायता देय होगी।
- 11 राज्य कर्मचारी, हितकारी निधि का नियमित अंशदाता वर्ष 2018-19 से होना चाहिए। यदि अंशदान जमा करवाया हुआ है तो कटौती शिड्यूल एवं ई0सी0एस0 की प्रति वर्ष 2018-19 एवं 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 की संलग्न करें।
- 12 सहायता राशि पाठ्यक्रम हेतु रुपये 10,000/- अधिकतम निर्धारित है।
- 13 अपूर्ण प्रार्थना-पत्र, शुल्क की मूल रसीदें नहीं होने एवं देशी से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सहायता राशि 500 कार्मिकों के प्रार्थना पत्रों पर दी जानी है जिसे वरीयता के आधार पर प्रदान की जावेगी।
- 14 प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष 2018-19, 2019-2020, 2020-21, 2021-2022, 2022-23 व 2023-24 की ई0सी0एस0 एवं शिड्यूल की प्रति संलग्न की जानी है तथा जिन कार्मिकों का वेतन पी0डी0 हैड से आहरण होता है उन्हें CBEO (आरहण एवं वितरण अधिकारी) से ECS एवं शिड्यूल की प्रति प्राप्त कर संलग्न करनी होगी, इसके अभाव में प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

कृपया उक्त विषयक सूचना अपने अधीनस्थ विद्यालयों/कार्यालयों में प्रसारित एवं प्रचारित करावें ताकि अधिकाधिक कर्मचारीगण इसका लाभ उठा सकें।

जाता है कि अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द करार की प्रार्थना पत्रों को अपनी अनुशंसा, सहित **दिनांक 17.01.2025** तक अधीनस्थ संस्था प्रधानों को प्रार्थना पत्रों को अपनी अनुशंसा, सहित

Signature valid

RajKaj Ref
12487815

Digitally signed by Anand Chaudhary
Designation: Deputy Director
Date: 2024.01.17 16:34 IST
Reason: Approved

नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः अग्रेषण अधिकारी अन्तिम तिथि के पश्चात् अनावश्यक प्रार्थना-पत्र अग्रेषित न करें। विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा उक्त अवधि से पूर्व आवेदन करने वालों को पुनः इस आदेश के अनुसरण में आवेदन करना होगा।

संलग्न: निर्धारित प्रार्थना-पत्र

(इन्द्रा चौधरी)

उप निदेशक प्रशासन
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर वास्ते सूचनार्थ।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
5. प्रधानाचार्य सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
6. संपादक शिविरा पत्रिका।
7. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को प्रेषित कर लेख है की विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण / शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।

(इन्द्रा चौधरी)

उप निदेशक प्रशासन
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

RajKaj Ref
12487815

Signature valid

Digitally signed by Indra Chaudhary
Designation: Deputy Director
Date: 2024.12.17 16:37:34 IST
Reason: Approved

हितकारी निधि कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी निधि से राज्य कर्मचारियों, राजपत्रित शिक्षा अधिकारी/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)/शिक्षक/मंत्रालयिक/ सहायक कर्मचारी एवं समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारियों (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र

1. कर्मचारी का नाम.....
2. पद एवं पदस्थापन स्थान.....
3. कर्मचारी का स्थायी पता
4. टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर
5. कार्मिक का बैंक खाता विवरण :
 1. कार्मिक का बैंक खाता संख्या (पासबुक की प्रति) या निरस्त चैक
6. अध्ययनरत छात्र/छात्रा का नाम.....
7. छात्र/छात्रा से सम्बन्ध.....
8. छात्र/छात्रा के व्यावसायिक शिक्षा का नाम (✓करें) मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बी. एड/एस.टी.सी./नर्सिंग/सी.ए.).....
9. पाठ्यक्रम की अवधि.....
10. महाविद्यालय में प्रवेश तिथि.....
11. महाविद्यालय का नाम एवं पता जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है.....
.....(✓करें)(संस्था राजकीय/अराजकीय/निजी/मान्यताप्राप्त)
12. व्यावसायिक विषय के लिए भुगतान की गई राशि की मूल रसीदें संलग्न करें :-
संलग्न कुल रसीद संख्या..... राशि.....
13. छात्र/छात्रा जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न है : (हां/नहीं)
14. हितकारी निधि का कार्मिक आई0डी0सं0 (अंशदान कटौती शिड्यूल/ई0सी0एस0 वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 संलग्न करें । 2018-19 से नियमित अंशदाता होना चाहिये)

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी निधि, शिक्षा विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा वह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर
(पद एवं कार्यरत स्थान)

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पद
एवं पदस्थापन स्थान.....जो
मेरे अधीन कार्यरत है। इनके पुत्र/पुत्री.....जो(महाविद्यालय)
का नाम.....में
अध्ययनरत है एवं मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बीएड/एस.टी.सी./नर्सिंग सत्र.....
में प्रवेश लिया है को सहायता हेतु इनका प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक
शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर को अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर मय सील

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
(मोहर)

अध्ययनरत महाविद्यालय का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पुत्री/श्रीमती.....
जो (महाविद्यालय का नाम).....
में अध्ययनरत है। इनके पुत्र/पुत्री इस महाविद्यालय का नियमित छात्र/छात्रा है।
महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा विषयक विवरण निम्नानुसार है :-

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि (समेस्टर सहित)	प्रवेश तिथि	वर्तमान में किस वर्ष में अध्ययनरत है	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	विशेष विवरण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर